22/39

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs.5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

187567

विक्रय मूल्य- 90,000=00रुपया

मालियत - 1,00,400=00रुपया

स्टाम्प - 10,100=00रुपया

परगना - मोहनलालगंज ।

:: बैनामा ::

मनकि रामपाल पुत्र श्री नन्हें निवासी- जवाहर नगर, ग्राम मस्तेमऊ, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ (विक्रेता) का हूं :-

---2पर

रामपाल

क्रम संख्या .... 2598 ....
स्टाम्प विक्रय की तिथि .... 30/... ....
स्टाम्प का क्रेता का प्रयोजन .... एफिडेविट ....
स्टाम्प क्रेता का नाम ... ...
....
स्टाम्प की धनराशि 5/- ....

भुवनेश कुमार गुप्ता
ला० नं० 291 ...
... लखनऊ

बैनामा 90,000/-

मालियत 1,00,400/-

2020/- 10/- 10/- 2040/-

रामपाल

श्री/श्रीमती ......
पेशा खेती ...... जवाहरनगर मजरा ... लखनऊ

ने यह लेखपत्र ......

कार्यालय में आज दिनांक 02/11/04 .... 1/2

प्रस्तुत किया ।

2/11/04

रामपाल

निष्पादन लेख पत्र बाद सुनने व समझने ......
...रुपया 90000/- ...... प्राप्त ...
...श्री रामपाल उक्त व ... मोहम्मद
S/O ... अहमद R/O बी-10, सेक्टर ...
अलीगंज, लखनऊ

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

187508

(2)

जो कि मैं कृषि भूमि खसरा नम्बर- 957 (नौ सौ - सत्तावन) रकबा 0.096 हेक्टेयर (शून्य दशमलव शून्य नौ छः हे0) का सम्पूर्ण भाग व खसरा नम्बर- 958 (नौ सौ - अट्ठावन) का 1/4 भाग यानी रकबा 0.105 हे0 व खसरा नम्बर- 959 (नौ सौ उन्सठ) का अपना भाग रकबा 0.0495 हे0 कुल रकबा 0.2505 हे0 यानी 0.251 हेक्टेयर स्थित ग्राम मस्तेमऊ, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज हूँ, जो मेरी पैतृकसम्पत्ति है। उपरोक्त आराजी हर प्रकार के रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, मुकदमा आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है, जिसको विक्रय करने का मुझे पूर्ण मालिकाना व कानूनी हक हासिल है, अब बजरूरत खुद मैं अपनी खुशी व रजामन्दी से बिना किसी जोर या दबाव नाजायज के अपने दुरूस्त होश-हवास में अपनी उपरोक्त आराजी मजकूरेवाला को जिसकी चौहद्दी अन्त मेंदी

--3पर

रामपाल

क्रमांक .... 3592 ....

स्टाम्प विक्रय की तिथि .... 30-10-04 ....

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... [illegible] ....

स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible]

.... [illegible]

स्टाम्प की धनराशि [illegible]

भुवनेश कुमार गुप्ता

लाo नंo 231 [illegible] 21-3-0

[illegible] लखनऊ

मल्लिकराम वर्मा

जिसकी [illegible]

नौकरी

पुत्र श्री सुकई वर्मा

निवासी 1/340 विशालखण्ड, गोमतीनगर, लख०

व श्री रामसनेही पीपल

पेशा खेती मस्तीमऊ, मो० लालगंज, लख०

04/11/04

रामपाल

रामसनेही

सत्यापित: [illegible] के निशानी अंगूठे [illegible] हैं।

04/11/[illegible]

(भाग 1)

(प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला)

E

क्रम-संख्या 040222

लेख्य या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम

लेख्य का प्रकार

प्रतिफल की धनराशि

1—रजिस्ट्रीकरण शुल्क

2—प्रतिलिपिकरण शुल्क

3—निरीक्षण या तलाश शुल्क

4—मुख्तारनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिये शुल्क

5—कमीशन शुल्क

6—विविध

7—यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग

गांक जब लेख्य प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण-पत्र वापस करने के लिये तैयार होगा

प्रस्तुतीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

0 एस0 यू0 पी0—02 निबन्धन—

(भाग

(अभि

प्रस्तुत

प्रमाण

निष्पाद

लेख्य

प्रतिफ

क्रम संख्या 2598
स्टाम्प बिक्री की तिथि 30-10-04
स्टाम्प का उद्देश्य
स्टाम्प क्रेता का नाम
स्टाम्प की धनराशि 5000
भुवनेश कुमार गुप्ता

गैर्मी 90,500/-
मालिक 100,400/-

2020/-

रामपाल

खेती

जवाहर नगर

02/11/04

2/11/04

रामपाल

900001/-

रामपाल

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

{3}

जा रही है को बिला छोड़े किसी चीज
हक कुल या जुज के जो कुछ भी मुझे उक्त
विक्रयशुदा जायदाद में प्राप्त हैं, उन सबके
बकीमत मुबलिग- 90,000=00 रुपया {रुपया नब्बे हजार} जिसके
आधे मु0- 45,000=00रुपया {रु0 पैंतालिस हजार} होते हैं,
मैं बदस्त " श्री फिरोज अहमद पुत्र श्री इश्तियाक अहमद निवासी-
बी-10, सेक्टर "ओ", अलीगंज, शहर लखनऊ स्वयं व बहैसियत
मुख्तारेआम व सगे भाई श्री आफाक अहमद व श्री अतहर अहमद
पुत्रगण श्री इश्तियाक अहमद निवासी-बी-10, सेक्टर-ओ,
अलीगंज, शहर लखनऊ {क्रेता}" के हाथ बय फरोख्त कतई किया
यानी बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य कब्ल तहरीर बैनामा
हाजा क्रेता मजकूर से रूबरू गवाहान नकद वसूल पाकर कब्जा व
दखल मालिकाना आराजी मुबइया पर बजाय कब्जा खुद के
क्रेतागण मजकूर का बखूबी अपने समान करा दिया अब मेरा
या मेरे वारिसान या कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा

---4पर

रामपाल

क्रम संख्या .... 2591 ....

स्टाम्प विक्रय की तिथि .... 20-10-04 ....

स्टाम्प खरीदने वाले का नाम .... [illegible] ....

स्टाम्प क्रेता का पता .... [illegible]

.... B10 [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 100

[illegible] कुमार [illegible] [illegible]

ला० नं० [illegible]

[illegible]

विक्रयशुदा जायदाद या उसके किसी अंश कुल या जुज में शेषानहीं रहा अगर कोई शख्स निस्बत विक्रयशुदा जायदाद के हक जताये या दावा करे तो उसका हक व दावा बरूए तहरीर बैनामा हाजा बातिल व नाजायज होगा और अगर किसी शख्स की हकदारी या उज्रदारी या दावेदारी से विक्रयशुदा जायदाद कुल या जुज कब्जे क्रेता से निकल जावें या कब्जा न मिले या मिलकियत या हकीयत मेरी करार न पाई जाये या अन्य कोई विवाद निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता व वारिसान क्रेता को हक होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा के मुझसे या मेरे वारिसान की दीगर जायदाद चल व अचल से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवें, कोई मुकाम उज्र का न होगा । विक्रेतागण व क्रेतागण का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्त ही है । आराजी मुबइया किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं की गयी है । आराजी मुबइया कृषि भूमि है जिस पर वर्षा 1383फसली के पूर्व से लगातार आज तक खेती होती चली आ रही है और कृषि कार्य हेतु ही विक्रय की जा रही है ।आराजी मुबइया मुख्य मार्ग,

---5पर

रामपाल

राज मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर नहीं स्थित है । आराजी मुबइया पर कोई पेड़, कुंआ, बोरिंग व निर्माण आदि नहीं है । आराजी मुबइया अतिविशिष्ट ग्राम में स्थित है, जिसके भूमि की बाजारी मालियत रुपया 4,00,000/=रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से मालियत मु0- 1,00,400/=रुपया होती है, जो अधिक है अत: इसी पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क मु0- 10,100/=रुपया अदा किया गया है । उक्त आराजी का पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है । विक्रेता अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है ।

अत: यह बैनामा बतई बहक क्रेतागण उपरोक्त श्री फिरोज अहमद पुत्र श्री इश्तियाक अहमद व श्री आफाक अहमद व श्री अतहर अहमद पुत्रगण श्री इश्तियाक अहमद के तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवें ।

: खसरा नं0- 957, 958 व 959 की चौहद्दी :

पूरब- भूमि खसरा नं0- 974, 973 व 943,

पश्चिम- भूमि खसरा नं0- 961,

---6पर

रामपाल

उत्तर- भूमि खसरा नं0- 961 व 972,

दक्षिण- भूमि खसरा नं0- 953, 954 व 955,

रामपाल

लखनऊ। ह0 विक्रेता,

दिनांक:- 2-11-2004ई0।

गवाहान

1:

पता-

रामसनेही

2:

पता-

ह0 क्रेता,

मसविदाकर्ता,

Adv

§ सर्वेश कुमार गुप्ता§

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

टाईपकर्ता

S. K. Gupta
License Typist
Lic. No.-8
Collectrat, Lko

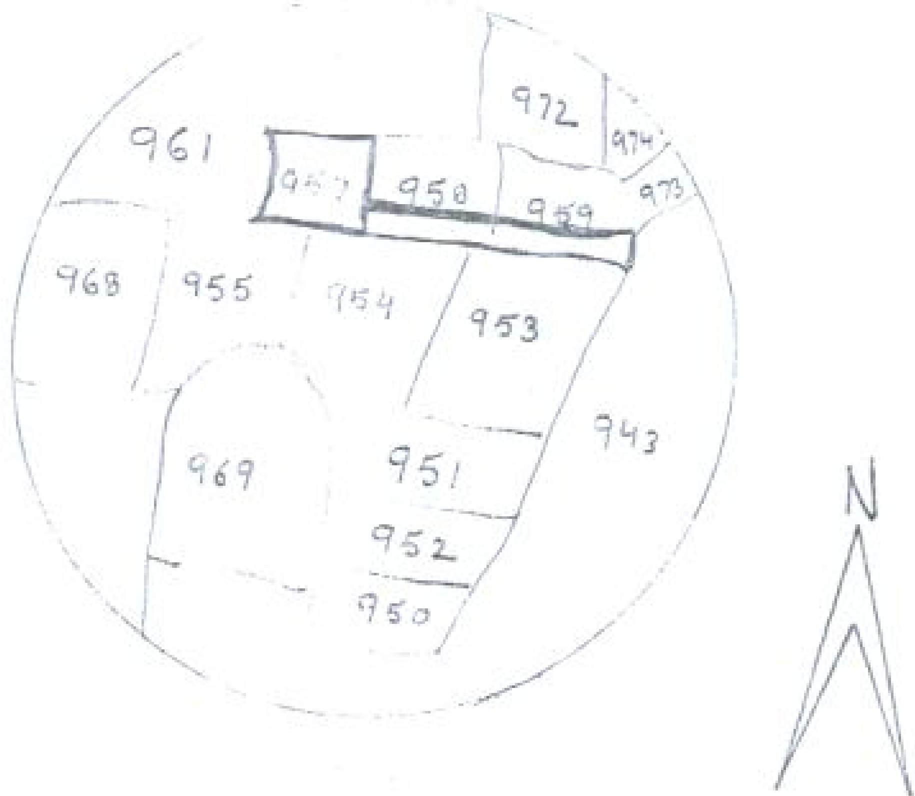

विक्रेता श्री रामपाल पुत्र श्री नन्हे ग्राम [illegible] परग० व तहसील [illegible], बाराबंकी खेत खसरा संख्या 957 का सम्पूर्ण भाग व 958 एवं 959 का भाग रकबा 0.251 हेक्टेयर स्थित ग्राम [illegible]	हस्ता. विक्रेता रामपाल	हस्ता. क्रेता

चौहद्दी

पूरब = खेत खसरा सं० - 974, 973 [illegible]

पश्चिम = खेत खसरा सं० 961

उत्तर = खेत खसरा सं० 961 व 972

दक्षिण = खेत खसरा सं० 953, 954 व 955

आर्किटेक्ट

Ahmad Miyan
Architect
LIC No. 516

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- रामफल पुत्र श्री नन्हे
[illegible] नगर, [illegible], [illegible] गंज, लखनऊ

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

रामपाल

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :- [illegible] पुत्र श्री [illegible]
[illegible] B-10 [illegible] [illegible]गंज, लखनऊ

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

①

155
156
424

আইডেন্ট 256/04.05
তারিখ - 2-3-05

02-11-2007

857

2257

269